न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 64/2017 श्रीमती मीरा बनाम श्रीमती लक्ष्मी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30–8–2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 1–6–2015 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 24–10–2017 को पेश की है। जिसके लिए दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश किया है। मयाद पर उभयपक्षों को सुना गया तो यह पाया कि प्रकरण मं अपीलान्ट संख्या–2 की मृत्यु अधिनस्थ न्यायालय में हो जाने का आवेदन लम्बित था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 के वारिसान 2/1 से 2/4 को सूचित किये बिना, मूल निर्णय के समय उन्हें सुचित किये बिना व सुने बिना निर्णय पारित किया है। तद्नुसार उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय होने की जानकारी होने की साक्ष्य नहीं है। पत्थरगढ़ी के किसी अन्य प्रकरण में भी अपीलान्ट संख्या–2 को इस अपीलाधीन विभाजन वाद की जानकारी होने का तथ्य उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट संख्या–2 को सुने बिना व सूचित किये बिना निर्णय पारित किया है। अतएव मयाद कण्डोन किया जाना न्यायहित में उचित है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरें RRT 2017 पेज 711 तथा RRT 2017 पेज 117 इस प्रकरण पर लागू नहीं होती, क्योंकि इस प्रकरण में अपीलान्ट संख्या–2 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई सूचना नहीं थी। मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रृवणार्थ ग्रहण की जाती है। प्रकरण में प्रतिवादी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में साक्ष्य बन्द कर प्रतिवादी के कायम मुकाम संस्थित कर उन्हें सूचित किये बिना व सुने बिना प्रारम्भिक डिक्री पारित की है। अपीलान्ट का यह कथन के कायम मुकाम निहित समयावधि में नहीं करवाये है। अतएव वाद अबेट हो जाता है, जो मान्य नहीं है।	

	जैसा कि रेस्पोन्डेन्ट वादी द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर RBJ 2011 पेज 41 अनुसार विभाजन के वाद में अबेटमेन्ट लागू नहीं होता। तद्नुसार प्रतिवादी संख्या–1 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2) के कायम मुकाम आवेदन की स्वीकृति को मान्यता दी जाती है। प्रकरण में अपीलान्ट संख्या–2 के वारिसान को सुने बिना व सुचित किये बिना उनकी साक्ष्य बन्द कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री निर्णय दिनांक 1–6–2015 को प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 1–6–2015 अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–10–2018 को समस्त प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत की जायेगी, जिनकी साक्ष्य व जिरह करवाकर प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर तनकीवार विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–10–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30–08–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 64/2017 श्रीमती मीरा बनाम श्रीमती लक्ष्मी

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........08............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0

5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।